न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 02/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/27

निगरारीकार **बनाम** **गैरनिगरानीकार**

रघुनाथ राम पुत्र स्व0 श्री रतनाराम जाति जाट निवासी सागु खुर्द पोस्ट सागुबड़ी ग्राम पंचायत रणसीसर जाटान तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

1. सुरेश ज्याणी पुत्र श्री मेघाराम ज्याणी जाति जाट निवासी सागू खुर्द तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, रणसीसर जाटान तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत, रणसीसर जाटान तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन।

<u>निगरानी विरूद्ध पट्ट संख्या 14/2023 व संकल्प संख्या 01/2023 दिनांक 20.07.2023 ग्राम पंचायत, रणसीसर जाटान को निरस्त कराने बाबत्।</u>
<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 97 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थितः–
1. श्री समंदर सिंह नाथावत वकील निगरानीकार की ओर से।
2. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ वकील गैरनिगरानीकार की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :15.04.2025

निगरानीकार की ओर से निगरानी के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. निगरानीकार व गैरनिगरानीकार संख्या 01 ग्राम सागुखुर्द तहसील छोटी खाटू के निवासी है तथा निगरानीकार अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 110 में अपना आवासीय मकान बना कर पिछले कई वर्षों से निवास करता आ रहा है, जिसके पश्चिम दिशा में चारागाह खसरा नम्बर 111 की भूमि अवस्थित है तथा नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार निगरानीकार अपने रहवासी मकान में आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर 111 चारागाह में से ही उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है।
2. ग्राम रणसीसर जाटान में स्थित खसरा न[illegible] की भूमि में अवस्थित आवासीय मकान में निगरानीकार पिछले [illegible] निवास करता आ रहा है तथा पश्चिम दिशा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

अवस्थित चारागाह भूमि के खसरा नम्बर 111 की भूमि में से निगरानीकार के आवागमन का रास्ता पिढ़ियों से चला आ रहा है।

3. निगरानीकार एक मजदूरी पेशा व भोला–भाला व्यक्ति है तथा खसरा नम्बर 110 में स्थित अपने आवासीय मकान में आने जाने व आवागमन का एक मात्र खसरा नम्बर 111 चारागाह की भूमि में से ही रहा है। लेकिन गौरनिगरानीकार संख्या 01 गैरनिगरानीकार संख्या 02 व 03 से मिलीभगत कर चारागाह के खसरा नम्बर 111 की भूमि पर नाजायज कब्जा करते हुये नजरी नक्शा में वर्णित भू–भाग जो निगरानीकार के आवागमन का एक मात्र रास्ता है, पर चुनौतीग्रस्त पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.07.2023 अपने नाम जाारी करवा लिया। जिससे निगरानीकार के आवागमन का रास्ता ही पूर्ण रूप से बन्द हो गया है।

4. गौरनिगरानीकार संख्या 01 सुरेश ज्याणी होशियार व चतुर व्यक्ति है तथा वह गांव की चारागाह भूमियों पर कब्जा करता रहा है। जबकि निगरानीकार अपनी खातेदारी के खेत में अपना आवासीय मकान बना कर निवास करता आ रहा है तथा खसरा नम्बर 111 चारागाह की भूमि में अवस्थित रास्ते को पिढ़ियों से आवागमन के रूप में उपयोग लेता आ रहा है।

5. गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने ग्राम पंचायत रणसीसर जाटान व ग्राम विकास अधिकारी, रणसीसर जाटान गैरनिगरानीकार संख्या 02 व 03 से मिलीभगत करके निगरानीकार संख्या 01 ने अपने आप को लाभ पहूंचाने की गरज से निगरानीकार के आवागमन के चारागाह भूमि के खसरा नम्बर 111 की भूमि का फर्जी पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.07.2023 को बनवा लिया। निगरानीकार के आवासीय मकान के आवागमन का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 111 में से नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार पिढ़ियों से रहा है तथा ग्राम पंचायत ने गैरनिगरानीकार संख्या 01 को बेजा लाभ पहूंचाने की गरज से चारागाह भूमि का पट्टा उनके नाम से जारी करवा लिया, जिससे व्यथित होकर निगरानीकार की ओर से यह निगरानी पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी पेश करते है। जिसके आधार निम्नलिखित है:–

:–निगरानी के आधार–:

1. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पट्टा अधिन निगरानी जारी करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः पट्टा अधिन निगरानी [illegible] किये जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

2. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत पट्टा अधिन निगरानी जारी करने में कानूनी एवम् वाकयाती भूल की है, अतः पट्टा अधिन निगरानी अपास्त किये जाने योग्य हैं।
3. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए पट्टा अधिन निगरानी जारी करने में घोर त्रृटि की है, अतः पट्टा अधिन निगरानी अपास्त किये जाने योग्य हैं।
4. ग्राम पंचायत रणसीसर जाटान ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रारूप 23 (2) नियम 157 (1) के तहत उत पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.07.2023 को जारी किया है, जिसमें ग्राम पंचायत ने पंचायत अधिनियम के नियमों व सिद्धान्तों की खुलम खुला अवहेलना करते हुये उक्त पट्टा जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ने गैरनिगरानीकार संख्या 01 का पचास वर्षो से अधिक का पुराना कब्जा बता कर उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है, जबकि गैरनिगरानीकार संख्या 01 निगरानीकार के गांव का व जाति समाज का है, जिसकी उम्र मात्र 31 वर्ष है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुये गैरनिगरानीकार संख्या 01 को गलत फायदा पहुंचाने की नियत से प्रलोभन में आकर यह पट्टा जारी किया गया है, जिससे भी यह पट्टा प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।
5. गैरनिगरानीकार संख्या 01 सुरेश ज्याणी को यह पूर्ण रूप से ज्ञान था कि उपरोक्त विवादग्रस्त पट्टा सुदा भूमि चारागाह खसरा नम्बर 111 की है तथा गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने स्वयं ने अपने प्रार्थना–पत्र व प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न शपथ–पत्र व प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में भी उपरोक्त चुनौतिग्रस्त पट्टा की भूमि को अपनी 50 वर्षों से अधिक पुरानी कब्जा सुदा मानकर आवेदन किया तथा ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी से सांठगांठ कर जानबुझकर तथ्यों को छुपाते हुये ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर उपरोक्त विवादित पट्टा जारी करवाया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।
6. ग्राम पंचायत ने जो निगरानीधीन पट्टा गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, जो सुरेश ज्याणी को वर्षों पुराना 50 वर्षों से अधिक पुराना कब्जा होने के आधार पर पट्टा जारी किया गया है, [illegible] सुरेश ज्याणी की उम्र आज भी मात्र 31 वर्ष ही है। जिस पर ग्राम पंचायत ने [illegible] करके यह विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

7. गैरनिगरानीकार संख्या 01 अत्यन्त चालाक व होशियार व्यक्ति है, उसने निगरानीकार के आवासीय मकान के आवागम के एक मात्र रास्ता जो चारागाह भूमि खसरा नम्बर 111 की भूमि पर नाजायज कब्जा करके उसको अपने स्वामित्व की भूमि बताते हुये पट्टा संख्या 14 गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने अपने नाम गलत रूप से जारी करवा लिया है, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

8. गैरनिगरानीकार संख्या 01 सुरेश ज्याणी ने ग्राम पंचायत से फर्जी पट्टा प्राप्त करने के लिए चारागाह भूमि खसरा नम्बर 111 की भूमि को अपने स्वामित्व की भूमि बताकर जो झुठे दस्तावेज व शपथ–पत्र पेश किये गये है तथा ग्राम पंचायत में उक्त गलत व कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर यह पट्टा जारी करवाया तथा ग्राम पंचायत ने उक्त दस्तावेजों की बिना जाँच किये ही यह चुनौतीग्रस्त पट्टा गलत रूप से गैरनिगरानीकार संख्या 01 को लाभ पहुँचाने के लिए जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

9. निगरानीकार ने गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा उपरोक्त विवादग्रस्त पट्टा जारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत में जो दस्तावेज पेश किये गये उनकी आर.टी.एक्ट के तहत प्रमाणित नकले प्राप्त करने हेतु दिनांक 09.02.2024 को आवेदन किया लेकिन ग्राम पंचायत ने नकले देने से स्पष्ट इनकार कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि निगरानीकार संख्या 02 व 03 ने गैर निगरानीकार संख्या 01 से मिलीभगत करके यह फर्जी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध व न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज होने योग्य है।

10. अभी हाल ही में निगरानीकार रघुनाथ राम को गांव में लोगों द्वारा यह सुनने में आया की गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने नजरी नक्शा में वर्णित खसरा नम्बर 111 की भूमि का आवासीय पट्टा अपने नाम से जारी करवाने की जानकारी होने पर निगरानीकार ने ग्राम पंचायत से गैरनिगरानीकार संख्या 01 सुरेश ज्याणी द्वारा पट्टा के लिए आवेदन की सम्पूर्ण नकले हेतु आर..टी.एक्ट का आवेदन करने तथा ग्राम पंचायत द्वारा देने से स्पष्ट इन्कार करने के कारण तथा दिनांक 05.12.2023 को निगरनीकार उपपंजियक, छोटी खादु से रजिस्टर्ड पट्टा की प्रमाणित नकल प्राप्त करने के बाद निगरानीकार बीमार हो गया तथा अभी हाल ही में स्वास्थ्य ठीक होने पर निगरानीकार अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर निगरानी तैयार करवाकर पेश की जा रही है, जिससे निगरानी पेश करने में विलम्ब योग्य व न्याय संगत है। देरी क्षमा हेतु धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Saran
Date: 2025.05.02 12:14:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

11. गैरनिगरानीकार सुरेश ज्याणी उक्त गलत रूप से प्राप्त पट्टे के आधार पर उक्त चारागाह में अवस्थित रास्ते पर फर्जी पट्टे के आधार पर बिना अधिकार के निर्माण करना चाहता है। गैरनिगरानीकार ने निगरानीकार को विगत सप्ताह धमकी दी है कि मेरे पास स्वयं के नाम से पट्टा है, तथा चारागाह भूमि में से बहने वाले रास्ते पर निर्माण करूंगा। इस प्रकार गैरनिगरानीकार उक्त गलत रूप से प्राप्त पट्टे का दुरूपयोग करके निगरानीकार के आवागमन के रास्ते पर फर्जी पट्टे की आड़ में निर्माण करना चाहता है, जिसका उसे कोई हक अधिकार नहीं है तथा उक्त गलत रूप से प्राप्त पट्टे के आधार पर अगर गैरनिगरानीकार उक्त चारागाह की भूमि में अवस्थित रास्ते पर नव निर्माण करने में सफल हो जाता है तो निगरानीकार को अजहद नुकसान होगा। जिस प्रयोजन से भी यह निगरानी पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः निगरानी निगरानीकार पेश कर सादर नम्र निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर पट्टा संख्या 14/2023 व संकल्प संख्या 01/2023 दिनाक 20.07.2023 ग्राम पंचायत, रणसीसर जाटान को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी में दिये गये तथ्यों को ही दोहराया तथा पट्टा सं0 14/2023 को निरस्त करने का निवेदन किया। वकील गैर निगरानीकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि गैर निगरानीकर्ता सं0 01 ने उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत रणसीसर जाटान से विधिवत आवेदन करके बनवाया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व सम्पूर्ण प्रक्रिया के तहत पट्टा बनाकर दिया गया है। जिसमें गैर निगरानीकार सं0 01 के दादा के समय से निरन्तर काबिज कब्जा व चार दिवारी निर्माण सुदा है एवं गैर निगरानीकार सं0 01 के बंट में आया हुआ है व निवासरत है। निगरानीकार का कभी भी आने जाने हेतु रास्ता नहीं है व नहीं था। निगरानीकार का खेंत खसरा सं0 110 रकबा 0.5600 हैक्टयर भूमि ग्राम सागु खुर्द में आने जाने का रास्ता खसरा सं0 244 आबादी भुमि सागु खुर्द में से ही हमेशा रहा है व वर्तमान में भी उपयोग उपभोग में आता है।

बहस के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार छोटी खाटू की रिपो[illegible] ग्राम सागु खुर्द के खसरा सं0 111 की किस्म गै0मु0 आबादी है। [illegible] का दिया गया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 157 [illegible] पंचायत को 300 वर्गगज तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

का ही पट्टा देने का अधिकार है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध 350 वर्गगज का पट्टा जारी किया है।

अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रणसीसर जाटान द्वारा जारी पट्टा संख्या 14/2023 संकल्प सं0 01/2023 दिनांक 20.07.2023 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत रणसीसर जाटान को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच कर नये सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक **15.04.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:56 IST
Reason: SelfAttested